

कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
बडकोट ।

पत्रांक २०५/ 4 भू0अ0

दिनांक ११/०२/ 2015

सेवा में,

उपजिलाधिकारी / तहसीलदार
बडकोट ।

विषय:- क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु मोटर मार्गों में आने वाली वन भूमि के बदले सिविल सोयम भूमि उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

महादेय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है, कि निम्न मोटर मार्गों के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगुनी सिविल सोयम भूमि उपलब्ध करवानी है।

1. नौगाँव स्यूरी मोटर मार्ग का विस्तारीकरण क्षेत्रफल 3.०.6. हे० के दुगुनी भूमि 6.12.हे०।
2. हनुमान चट्टी से पिंडकी मोटर मार्ग का निर्माण क्षेत्रफल ~~1.4.4.~~^{2.895} हे० के दुगुनी भूमि ~~2.880~~^{5.790} हे०।
3. नकोड़ा कपोला से पिंडकी मोटर मार्ग का निर्माण क्षेत्रफल 3.8925 हे० के दुगुनी भूमि 7.785 हे०।
- 4 - रवशदी स्थानक/ गडोली मोटर मार्ग का निर्माण क्षेत्रफल 2.835 हे० के दुगुनी भूमि 4.06 हे०

अतः आप से अनुरोध है कि उपरोक्त मोटर मार्गों के क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु सम्बन्धित उक्तभुलेख निरीक्षक पटवारी से दुगुनी भूमि एन0एन0जेड0 खतौनीमय नक्शा सहित उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.बडकोट ।